न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत **(R.A.S.)**

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
348 / 2018	28.12.2018	01.02.2021

उनवान

1. आजाद पुत्री छाजूराम जाति जाट निवासी जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: वादिया

बनाम

1. सुशन उर्फ सुरेन्द्र पुत्र बदलूराम जाति जाट निवासी जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: असल प्रतिवादी

2. सरबत पुत्री छाजूराम जाति जाट निवासी जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: तरतीबी प्रतिवादिया

दावा:– अर्न्तगत धारा 188 राज0 काश्त0 अधिनियम

....

–: निर्णय :–

दिनांक :– 01.02.2021

उपस्थिति :–

1– श्री गंगाराम पटेल, वकील वादिया

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादिया के वाद सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 474 रकबा 0.35 है0, वाके ग्राम जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में स्थित है। उक्त विवादित आराजी मिन वादिया और तरतीबी प्रतिवादिया की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। मौके पर मिन वादिया तरतीबी प्रतिवादिया काबिज है, राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। असल प्रतिवादी का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। परिवार वाले लोग है और असल प्रतिवादी जबरदस्ती लठ के बल पर मिन वादिया की खातेदारी की आराजी पर कब्जा कर निर्माण कार्य करने पर उतारू है। आये दिन मिन वादिया की आराजी पर कब्जा करने की धमकी व फसल को नुकसान पहुंचाते है। जिनको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अपने अधकारों की सुरक्षा के लिए मिन वादिया असल प्रतिवादी को हु0 ई0 दवामी से पाबंद कराने की अधिकारी है जिस हेतु वाद हु0 ई0 दवामी पेश करना लाजिम आया है। मिन वादिया व तरतीबी प्रतिवादिया दिनांक 25 / 12 / 18 को अपने खेत उक्त विवादित आराजी में काश्त कार्य कर रही थी तो असल प्रतिवादी मिन वादिया के खेत में आया और

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:17:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

बेदखल करने की धमकी देने लगा, यही तारीक बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा पेश करना लाजिम आया है।

वादीगण के द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 474 रकबा 0.35 है0, वाके ग्राम जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित आराजी की बाबत असल प्रतिवादी को हु0 ई0 दवामी से पाबंद किया जावे कि उक्त विवादित आराजी में असल प्रतिवादी प्रवेश ना करे, ना मिन वादिया व तरतीबी प्रतिवादिया के कब्जे काश्त एवं उपयोग और उपभोग में बाधा डाले, ना कोई डोल वगैरा तोडे, ना जबरदस्ती निर्माण कार्य करे, पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी जवाब पेश नही किया। वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी सम्वत 2072–75, गिरदावरी सम्वत 2072–74, पेश किये है जो शामिल मिसल है। वकील वादी की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अनुपस्थित रहे। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड होने का निवेदन करते हुये प्रतिवादी को हु0 ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के तहत पाबन्द करने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी की अनुपस्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादिया की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी होने की स्थिति वादिया के वाद का यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादिया बहक वादिया बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता है एवं आराजी हाल खसरा नम्बर 474 रकबा 0.35 है0, वाके ग्राम जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर स्थित आराजी की बाबत असल प्रतिवादी को हु0 ई0 दवामी से पाबंद किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित आराजी में असल प्रतिवादी प्रवेश ना करे, ना मिन वादिया व तरतीबी प्रतिवादिया के कब्जे काश्त एवं उपयोग और उपभोग में बाधा डाले, ना कोई डोल वगैरा तोडे, ना जबरदस्ती निर्माण कार्य करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:17:20 IST
Reason: SelfAttested

01.02.21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0